

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 20.07.2011

संख्या-9/बि0वि0प0स0-06/10. 389 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 की धारा-17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित की जाने वाली पूरक माध्यमिक परीक्षा के स्थान पर सी0वी0एस0ई0 की पैटर्न पर कम्पाटिगन्टल परीक्षा संचालित करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली 1964 में संशोधन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विनियमन-2011 की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक: 389/

पटना, दिनांक:- 20.07.2011

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अंगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की पचास प्रतियां आवश्यक कार्यार्थ विभाग को विशेषदूत के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक: 389/

पटना, दिनांक:- 20.07.2011

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग/ मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव/निदेशक (मा0शि0)/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

20/7



- (6) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-V के नियम-15 में उक्त नियम (1) (क) में शब्द "पूरक" शब्द शब्द "कम्पार्टमेन्टल" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (7) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-V के नियम-20 के उक्त नियम (क) में शब्द "पूरक" शब्द "कम्पार्टमेन्टल" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (8) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-VIII के नियम-13 विलोपित किया जायेगा।
- (9) उक्त विनियम 1964 के अध्याय-VIII के नियम-14 (ग) विलोपित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के सयुक्त सचिव,
22/01/17